

- 1-समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश।
- 2-अपर निदेशक(प्रशिक्षण संस्थान) वाणिज्य कर,  
गोमती नगर, लखनऊ।

**विषय- कोविड-19 महामारी में दिवंगत हुये कर्मचारियों के सम्बन्ध में।**

उत्तर प्रदेशीय चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी संघ ने पत्र संख्या-62 दिनांक 20.05.2021 द्वारा संज्ञान में लाया गया है कि पंचायत चुनाव में वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गयी थी। चुनाव ड्यूटी निर्वहन के दौरान कोविड-19 से संक्रमित हो जाने के फलस्वरूप कई कर्मचारियों की मृत्यु हो गयी, जिसके कारण परिवार के सदस्य को मृतक आश्रित के रूप में नियुक्ति व अन्य देयकों का भुगतान तत्काल कराया जाये।

कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश के आदेश संख्या-360 दिनांक 21.05.2021 द्वारा कोविड-19 महामारी में दिवंगत हुए विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों से सम्बन्धित समस्त देयकों जैसे- जी०पी०एफ०, पारिवारिक पेंशन, मृतक आश्रित अनुकम्पा नियुक्ति, ग्रेच्युटी, लीव इनकैसमेण्ट व अन्य समस्त देय भुगतानों के सम्बन्ध में जोन स्तर पर समिति का गठन करते हुए समिति द्वारा कर्मचारी के देयकों का परीक्षण कर कृत कार्यवाही की रिपोर्ट का विवरण दिनांक 30.05.2021 तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गये हैं। इसी प्रकार आदेश संख्या-407 दिनांक-25.05.2021 द्वारा कर्मचारी के आश्रितों की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु भी अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में समिति का गठन कर दिया गया है।

उपरोक्त सम्बन्ध में आपसे अपेक्षा की जाती है कि जोन के अन्तर्गत जो कर्मचारी कोविड-19 महामारी के दौरान (दिनांक 01.04.2020 से अब तक) दिवंगत हुए हैं, से सम्बन्धित वांछित सूचना पत्र के साथ संलग्न प्रारूप में आज ही पत्रवाहक/फैक्स (0522-2306072) व ई-मेल (cta3comhqlu-up@nic.in) के माध्यम से मुख्यालय को उपलब्ध कराये जाने का कष्ट करें।

**संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।**

₹

(सूर्यमणि लालचंद)

एडीशनल कमिश्नर(प्रशासन) वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

**पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक : उक्त।**

प्रतिलिपि- ज्वाइन्ट कमिश्नर(आई०टी०) वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।

एडीशनल कमिश्नर(प्रशासन) वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

